

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/VRS-542/2025/55

दिनांक:- 31/01/2025

-: आदेश :-

डेसी थोमस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डबलीराठान हनुमानगढ़ जिनकी जन्म तिथि 16.02.1967 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.03.1989 है, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 31/01/2025

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/VRS-542/2025/55  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्रांक 988-90 दिनांक 21.01.2025 के क्रम में।
4. संबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़।
5. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
6. टीसी अनुभाग/राजहैल्थ अनुभाग मुख्यालय।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :31-01-2025 12:33:39